न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 72/2019 निर्णय दिनांक: 29.7.2022

ऑनलाईन नंबर 2019/00178

डूंगरराम पुत्र पीथाराम जाति खाती निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. श्रीमती मुन्नी पत्नी स्व. किशनसिंह
2. पूर्णसिंह
3. भवरसिंह
4. गुड्डी

(2 से 4) पिसरान स्व. किशनसिंह; (1 से 4) जाति राजपूत निवासीगण शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

5. स्टेट ऑफ़ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री पूनमचंद मारू अभिभाषक वादी
2. एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि खेत खसरा नम्बर 60 तादादी 5.61 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा में 4/5 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम से है तथा 1 /5 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से है । वर्णित खेत की खातेदारी अभी तक संयुक्त रूप से चली आ रही है। खेत खसरा नम्बर 60 तादादी 5.61 हैक्टेयर के खातेदारान के मध्य आपसी मौखिक विभाजन हो चुका है। मौखिक विभाजन के अनुसार उक्त खेत की 4/5 हिस्सा भूमि पूर्वी तरफ की वादी के हिस्सा पांति में आई हुई है जिस पर वादी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है, इस खेत की पश्चिमी तरफ की 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के हिस्सा पांति में आई हुई है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। वादी ने अपने हिस्सा में आई 4/5 हिस्सा की पूर्वी तरफ की भूमि पर सुधार कर काश्त योग्य बनाया है, झौपड़ी बनाई हुई है तथा वर्षात होने पर वादी ने अपने 4/5 हिस्सा की पूर्वी तरफ को काश्त करता है,इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 अपने 1 /5 हिस्से (पश्चिमी तरफ) को काश्त करते है। पक्षकारान मौखिक विभाजन अनुसार अपने अपने हिस्सा की भूमि को काश्त करते रहते है। वादगत खेत की संयुक्त खातेदारी चली आने से वादी को ऋण लेने, सुधार

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्य करने, ट्यूब वैल बनाने, लगान चुकाने में काफी कठिनाई होती है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को मौखिक विभाजन अनुसार वादगत खेत का विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण शुरू में आजकल आजकल कहकर टालते रहे तथा अब दिनांक 18.05.2018 को वादगत खेत का विभाजन करवाने से इन्कार हो गये तथा वादी को उसके हिस्सा पांति की भूमि से बेदखल करने की एलानियां तौर पर धमकी दी। वादगत खेत के 4/5 हिस्सा पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत खेत के 4/5 हिस्सा भूमि को वादी ने ही काश्त योग्य बनाया है। वादगत खेत की खातेदारी संयुक्त चली आने से वादी को काफी परेशानी हो रही है। वादी वादगत खेत का विभाजन करवाकर अपने 4/5 पूर्वी हिस्सा की अलग खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है इसलिए यह खातेदारी विभाजन का दावा पेश किया जा रहा है। वादगत खेत खसरा नम्बर 60 तादादी 5.61 हैक्टेयर रोही शेरूणा का 4/5 हिस्सा पूर्वी तरफ की भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त मौखिक विभाजन अनुसार चला आ रहा है परन्तु प्रतिवादीगण वादगत खेत में वादी के 4/5 हिस्सा (पूर्वी) से वादी को बेदखल करने पर आमादा है। वादी सीधा सादा कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। प्रतिवादीगण होशियार प्रवृति के व्यक्ति है। वादी प्रतिवादीगण का बलपूर्वक मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। वादी के पास अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादगत खसरा भूमि में 4/5 हिस्सा भूमि की खातेदारी वादी के नाम से है तथा बादगत खेत के 4/5 हिस्सा (पूर्वी) की भूमि पर मौखिक विभाजन अनुसार वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए वादी को वादाधार हासिल है। प्रतिवादीगण दिनांक 18.05.2018 को वादगत खेत का विभाजन करवाने से इन्कार हो गये तथा वादी को उसके हिस्सा पांति की भूमि से बेदखल करने की एलानियां तौर एलानियां तौर पर धमकी दी, इसी दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावे :-

(क) कि खेत खसरा नम्बर 60 तादादी 5.61 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर इस खेत की 4 / 5 हिस्सा (पूर्वी तरफ) की खातेदारी वादी के नाम अलग से दर्ज की जावे तथा नक्शा अक्स में भी वादी के हिस्सा पांति की भूमि को अलग से दर्शाया जावे तथा अलग ही लगान कायम किया जावे।

(ख) कि प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वो वादी के खेत खसरा नम्बर 60 तादादी 5.61 हैक्टेयर रोही शेरूणा

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

की 4/5 हिस्सा भूमि (पूर्वी तरफ की) से वादी को बेदखल नहीं करें ना ही कब्जा काश्त में दखल देवें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो वादी के अधिकारों के विपरीत हो ।

(ग). कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 60 तादादी 5.61 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर खाता विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त अनुसार आने जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक २१.७.२०२४ को सरे इजलास मेरे द्वारा सुनाया जाकर शामिल पत्रावली कियां गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) सत्यमेव जयते

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

डूंगरराम पुत्र पीथाराम जाति खाती निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. श्रीमती मुन्नी पत्नी स्व. किशनसिंह		जाति राजपूत निवासीगण शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. पूर्णसिंह	पिसरान स्व. किशनसिंह	
3. भवरसिंह		
4. गुड्डी		

5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

दावा बाबत विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 72/2019
निर्णय दिनांक 29.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता पूनमचंद मारू एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 60 तादादी 5.61 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर खाता विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त अनुसार आने जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 29 माह 07 सन् 2022 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) सत्यमेव जयते

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस.	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		0
	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)